न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
18 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	16.03.2020	09.12.2021

भानू प्रताप सिंह गहलोत खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राजस्थान

...... प्रार्थी

बनाम

1-Sh. Ajay Kataria S/o Sh. Shripal Kataria FBO & Partner, M/s Swastik Oil Industries, F-4 to 8, Industrial Area Newai, Tonk
Residence:- P. No. 303, Himmat Nagar, Gopalpura, Jaipur
2-Sh. Shripal Kataria, Partner, M/s Swastik Oil Industries, F-4 to 8, Industrial Area Newai, Tonk
3-Sh. Vijay Kumar Kataria, Partner, M/s Swastik Oil Industries, F-4 to 8, Industrial Area Newai, Tonk
4-M/s Swastik Oil Industries, F-4 to 8, Industrial Area Newai, Tonk

...... अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत एफ. एस. एस. ए. 2006 की धारा 51

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री मयंक गुप्ता,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–**निर्णय**–: दिनांक 09.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.04.2019 को समय 6.05 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण M/s Swastik Oil Industries, F-4 to 8, Industrial Area Newai, Tonk पर टीम के साथ पहुंचां। खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से Sh. Ajay Kataria S/o Sh. Shripal Kataria FBO & Partner, M/s Swastik Oil Industries, F-4 to 8, Industrial Area Newai, Tonk खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका [illegible] का कारोबारकर्ता एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:04:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

भागीदार होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र बाबत आवेदन किया हुआ बताया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु संस्थान मे Groundnut Oil (Swastik)रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री अजय कटारिया को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता अजय कटारिया एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा संस्थान मे 15 किग्रा. के 2090 टिन Groundnut Oil (Swastik) रखे हुये मे से एक 15 किग्रा. टिन को खुलवाकर 1600 ग्राम का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री अजय कटारिया को रू0 200/–अक्षरे दो सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा Groundnut Oil (Swastik) 1600 ग्राम को चार प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर डालकर लेबल तैयार कर चिपकाये एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर स्टेट डी.ओ.कोड जयपुर एवं क्रमांक ईई –1839 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर स्टेट डी.ओ. जयपुर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. ईई– 1839 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. अजय कटारिया के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वा0 प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को स्टेट डी.ओ. एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा. स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 220 दिनांक 01.05.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वा0 प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एफ0/1097/एफ/2019/17 दिनांक 26.04.2019 अनुसार अजय कटारिया से वास्ते नमूना जांच लिया गया Groundnut Oil (Swastik) का नमूना **सबस्टैण्डर्ड, मिसब्रांड तथा मिसलीड** है। निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:04:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जांच रिपोर्ट दिनांक 31.07.2019 के अनुसार **सबस्टैण्डर्ड** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **सबस्टैण्डर्ड** स्तर का Groundnut Oil (Swastik) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) (As Saponification value falls below the minimum standard limit) की धारा 26 की उप धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिषाषक अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया। जवाब का अवलोकन किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 2 के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्व कार्यवाही नहीं करने बाबत निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस Groundnut Oil (Swastik) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **सबस्टैण्डर्ड** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया Groundnut Oil (Swastik)का नमूना जांच में **सबस्टैण्डर्ड** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी Sh. Ajay Kataria S/o Sh. Shripal Kataria FBO & Partner, M/s Swastik Oil Industries, F-4 to 8, Industrial Area Newai, Tonk Residence:- P. No. 303, Himmat Nagar, Gopalpura, Jaipur पर शास्ति 17,000 (अक्षरे सत्रह हजार रू0) अप्रार्थी Sh. Vijay Kumar Kataria, Partner, M/s Swastik Oil Industries, F-4 to 8, Industrial Area Newai, Tonk पर शास्ति 17,000 (अक्षरे सत्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:04:03 IST
Reason: SelfAttested

9-12-2021

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक